रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 301] नई दिल्ली, सोमवार, जून 19, 1972/ज्येष्ठ 29, 1894
No. 301] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 19, 1972/JYAISTHA 29, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June 1972

S.O. 434(E).—In pursuance of Explanation to the First Schedule to the Produce Cess Act, 1966 (15 of 1966) read with sub-section (2) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in continuation of the Notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) S.O. No. 2457, dated the 26th June, 1971, the Central Government is pleased to retain, with effect from the 1st July, 1972, the tariff value in respect of Cashew Kernel at Rs. 930 per quintal for the year 1972-73.

[No. F.4-3/72-Econ.Py.]

T. P. SINGH, Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 1972

का० आ० 434 (अ) —सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्पाद उपकर अधिनियम, 1966 (1966 का 15) की प्रथम अनुसूची के स्पष्टीकरण के अनुसरण में तथा भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 2457, तारीख 26 जून, 1971 के अनुक्रम में, केन्द्रीय सरकार, 1 जुलाई, 1972 से 1972–73 वर्ष के लिए, काजू गिरी के सम्बन्ध में टैरिफ मूल्य 930 रु० प्रति क्विंटल बनाए रखती है ।

[सं० फा० 4–3/72-अर्थ नीति]

त्रिभुवन प्रसाद सिंह, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972